

571

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

तारीख: 5/12/2018

प्रकरण क्रमांक:- 12018- निगरानी

II/ निगरानी/सुरेश/भू.स/2018/2239

रामचरण पुत्र कैसरी-मृतक (मृत्यु दिनांक 23-02-06)

के वारिसान:-

- (१) श्रीमती मधुरा देवा रामचरण, न
- (२) पुष्पाक्ष पुत्र रामचरण, 0501
- रसाल पुत्र रामचरण (फाँत) के वारिसान-
- (३) महिला रैवती देवा-स्व० रसाल सिंह, 1
- (४) वीर सिंह (नावाल्लान पुत्र व बुधिया-स्व० 1
- रसाल, वसरपरस्त माता स्व० रैवती) ।
- (५) नीकेश नावाल्लान रसाल व सरपरस्त माता श्रीवती
- (६) कुमारी रवीना ,, ,, त-
- (७) रजनी ,, ,, 8-
- (८) प्रेमवती पुत्री रामचरण;
- (९) माया पुत्री रामचरण । गिण

करन सिंह पुत्र स्व० कैसरी (फाँत) के वारिसान:-

- (१०) राजकुमार देवा करन सिंह, 18-08-19,
- (११) सुरेश पुत्र करन सिंह, क०
- (१२) महिला उदडी प्रगा
- (१३) उदडी महिला सनीही
- (१४) महिला शारदा
- (१५) महिला गीता


गजेन्द्र पुत्र स्व० करन सिंह (फाँत) के वारिसान:-

- (१६) महिला पपीता देवा गजेन्द्र, कानूनन
- (१७) बाकाश । नावाल्लान पुत्र व
- (१८) विकास । पुष्पा गजेन्द्र व
- (१९) वन्दना । सरपरस्त माता स्व०
- पपीता ।

समस्त निवासीगण- ग्राम सारसवारी का पुरा, रंज कानूनी

माँजा करीबा, तैल्लील केदारस-जिजा 1050 ।

क्रमांक:- 2



श्री 2018 को कवकी
द्वारा आज दि. 5-4-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 13-4-18 नियत।

JCC
वसुधैव कुटुम्बकम्
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

2239
4/12

बिराह

- १- नारायण पुत्र श्रीपति, निवासी ग्राम अरवि
मजरा सारसवारी का पुरा, तहसील-कैलारस,
जिला मुरीना-मध्यप्रदेश ।
- २- श्रीमती रामदेई पुत्री श्रीपति पत्नी केदार,
निवासिन उमराव का पुरा, तहसील जीरा,
जिला मुरीना-मध्यप्रदेश ।
- ३- कल्या पुत्री श्रीपति पत्नी लालन-निवासिन
ग्राम वैरई, तहसील कैलारस, जिला मुरीना-म०प्र०।
- ४- माधी, | पुत्राण की निवासीगण
५- गीपी | ग्राम अरवि तहसील कैलारस,
६- रामरत | जिला मुरीना-मध्यप्रदेश ।
७- वीरवल,
८- महिर सिंह |
- ९- श्रीमती राना पुत्री बड़ी पत्नी बदवन्त-
निवासिन ग्राम वैरई, मानगढ़ तहसील-
कैलारस जिला मुरीना-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिराह आवेक कलेक्टर महादय मुरीना दिनांक २६-०६-१७,
अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९५६। प्र०क्र०
३६।११-१२ स्वमेव निगरानी ।

श्रीमान् जी,,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर
प्रस्तुत है :-

१- यह कि, कलेक्टर महादय की विवाहित आज्ञा कानून
सही नहीं है ।


२- यह कि, कलेक्टर महादय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी
स्थिति को सही नहीं समझा है ।



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/2239

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	